समक्ष मान्नीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

R 900-II-17 पुन0 प्रकरण ..../2017

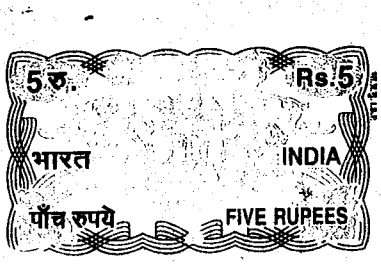

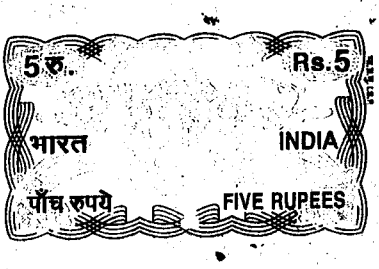

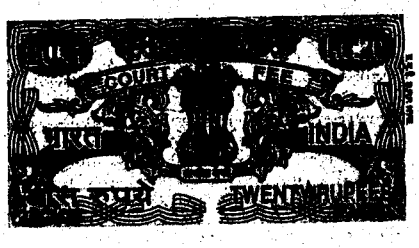

दुर्गा सिंह तनय स्व0 रामकिशोर सिंह, निवासी–ग्राम जुड़मनिया, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0) ....**निगरानीकर्ता**

बनाम

शासन मध्यप्रदेश द्वारा कलेक्टर रीवा ....**गैरनिगरानीकर्ता**

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय रीवा, जिला रीवा म0प्र0 के स्वयंमेव निगरानी क्र0 57/अ–6–अ/91–92 में पारित आदेश दिनांक 19 जुलाई 1993।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0।

O. P. Sharma Adv. 16.3.17

दिनांक 16.3.17 को श्री ओ.पी. शर्मा अभि0 द्वारा प्रस्तुत। 16.3.17

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:–

1. यह कि ग्राम जुड़मनिया जनरल नं0 209 तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 स्थित आराजी पुराना भूमि खसरा क्र0 123 रकवा 0.74 ए0, 397 रकवा 0.40 ए0 एंवं 367 रकवा 1.27 भूमिस्वामी चन्द्रशेखर मु0 जौजे कालिका प्रसाद वगैरह के नाम खतौनी बन्दोबस्त वर्ष 1924–25 में रइयत पट्टे पर प्राप्त हुई थी, जिसके खाना नं0–3 में मु0 जौजे कालिका प्रसाद व शीतल प्रसाद व शारदा प्रसाद पिता रामानन्द एक हिस्सा व हिस्सा बराबर व चन्द्रशेखर प्रसाद बल्द रुद्रदत्त एक हिस्सा कौम ब्रा0 सा0 रीवा मोहल्ला उपरहटी दर्ज अभिलेख था। और उसी दर्ज अभिलेख अनुसार भूमिस्वामी अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहे आये, बाद में जब राज्य सरकार द्वारा भूमियों के अधिकार अभिलेख दुरुस्त कराये जाने की कार्यवाही शुरू की गई तो रीवा जिले की हुजूर तहसील के कुछ गांवों के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 900–दो/2017 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–4–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर रीवा जिला रीवा के प्र0 क0 57/अ–6–अ/91–92 में पारित आदेश दिनांक 19–7–1993 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 19–7–1993 के विरूद्ध इस न्यायालय में 19 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है। विलम्ब के संबंध में मात्र यह आधार लेख किया है कि आवेदक द्वारा संबंधित हल्का पटवारी से सम्पर्क कर अपनी भूमियों के राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया तो तथ्य प्रकाश में आया कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा कमांक 371, एवं 401 राजस्व इन्द्राज म0प्र0 शासन दर्ज हो रही है। आवेदक द्वारा दिया गया यह कारण 19 वर्ष के विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं माना जा सकता। जहां तक कलेक्टर के आदेश के प्रश्नाधीन आदेश का प्रश्न है कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि इस प्रकरण में नायब तहसीलदार ने संहिता की धारा 108 के अन्तर्गत तैयार किये गये अभिलेख में वादस्तग्रस्त भूमियों का म0प्र0 शासन की प्रविष्टि निरस्त कर राजेन्द्र बिहारी का नाम	

भूमिस्वामी खाने में अंकित कर दिया है। नायब तहसीलदार को संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत भूमिस्वामी खाने में नाम अंकित करने की अधिकारिता नहीं है। इसी कारण कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश के अवैधानिक आदेश को निरस्त कर प्रश्नाधीन शासकीय भूमि को पूर्ववत म0प्र0 शासन दर्ज करने के आदेश दिये। कलेक्टर के आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य एवं आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य